# बिहार सरकार
## नगर विकास एवं आवास विभाग

### ।। कार्यालय आदेश ।।

संचिका सं0–04/NULM–65/2016 359 न0वि0एवंआ0वि0

विभागीय पत्रांक–1549 दिनांक–27.06.18 द्वारा दीनदयाल अन्त्योदय योजना–राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (DAY-NULM) के अधीन नगर निगम, भागलपुर क्षेत्रान्तर्गत सी.टी.एस. नाथनगर में Vending Zone के निर्माण हेतु तकनीकी एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गयी है। स्वीकृत Vending Zone का निर्माण रू0 82,14,800/– (बेरासी लाख चौदह हजार आठ सौ रू0 मात्र) की लागत व्यय पर नगर निगम, भागलपुर द्वारा किया जाना है। Vending Zone का निर्माण हेतु नगर निगम, भागलपुर को प्रथम किस्त की राशि रू0 41,07,400.00 (इकतालीस लाख सात हजार चार सौ रू0 मात्र) विमुक्त करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. प्रथम किस्त की राशि रू0 41,07,400.00 (इकतालीस लाख सात हजार चार सौ रू0 मात्र) की विमुक्ति बुडा में DAY-NULM योजना की संचित राशि से नगर निगम, भागलपुर के पक्ष में PFMS/RTGS के माध्यम से किया जायेगा।
3. योजना के कार्यान्वयन हेतु सभी आवश्यक औपचारिक पूर्ण करते हुए छः माह के अवधि के अन्दर नगर निगम भागलपुर द्वारा निर्माण कार्य पूर्ण किया जायेगा।
4. कार्य का अनुश्रवण नगर आयुक्त, भागलपुर नगर निगम एवं कार्यपालक अभियंता, डूडा, भागलपुर एवं PMC-MULM के प्रतिनिधि द्वारा किया जाएगा।
5. निर्माण कार्य में मानक गुणवत्ता का पालन अवश्य किया जायेगा।
6. प्रथम किस्त की विमुक्त राशि के उपयोगिता प्रमाण–पत्र की प्राप्ति के पश्चात् शेष राशि विमुक्त किया जायेगा।
7. विभागीय पत्रांक–1549 दिनांक–27.06.18 में दिए गए निदेशों का अनुपालन करना अनिवार्य होगा।
8. प्रस्ताव पर प्रधान सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

ह0/–<br>
विशेष सचिव–सह–निदेशक,<br>
नगर विकास एवं आवास विभाग।

ज्ञापांक–04/NULM–65/2016 1625 /पटना, दिनांक–10/07/18

प्रतिलिपि–जिला पदाधिकारी, भागलपुर/नगर आयुक्त, नगर निगम, भागलपुर/मा0 मंत्री के आप्त सचिव/कार्यपालक अभियंता, डूडा, भागलपुर/टीम लीडर, PMC-NULM/लेखापाल, बुडा, नगर विकास एवं आवास विभाग पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

10.7.18

विशेष सचिव–सह–निदेशक।

G:\BUDA\Section-4\Lalan\Office Order.doc 123